''छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति–2012''

1. प्रस्तावना

आधुनिक समय में राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सिंचाई, ऊर्जा, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तथा सुरक्षित पेय जल प्रदाय में उन्नति हेतु जल प्रबंधन चुनौतिपूर्ण है। जल, छत्तीसगढ़ राज्य का बहुमूल्य संसाधन है। प्रदेश की लगभग 80% आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका के लिये निर्भर है। प्रदेश में कृषि भी अधिकांशतः वर्षा पर आश्रित है। अतः राज्य के विकास हेतु जल संपदा का प्रभावी तथा दक्ष (Efficient) दोहन आवश्यक है। यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में जल संपदा का अथाह भंडार है, परन्तु इसका समुचित दोहन अभी नहीं हुआ है। पिछले अनेक वर्षो से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण न केवल अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका, बल्कि पूर्ण योजनाओं के संधारण हेतु भी प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा सकी है। 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन ने प्रदेश में जल संसाधनों के सुनियोजित विकास हेतु एक अवसर प्रदान किया है। प्रदेश के आर्थिक विकास में जल संसाधनों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक प्रभावी एवं व्यवहारिक ''जल संसाधन विकास नीति'' अत्यंत आवश्यक है।

1.1 राज्य जल संसाधन विकास नीति की आवश्यकता :–

1.1.1 जल की मांग तथा उपयोग, कई क्षेत्रों से संबंधित होती है तथा विभिन्न स्तरों पर इसका नियंत्रण होता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं उद्योग, जल भंड़ारण का अति दोहन, अव्यवस्थित शहरी विकास तथा अनियंत्रित प्रदूषण कुछ ऐसे विषयों में से हैं जिन पर जल क्षेत्रों की चुनौतियों की पूर्ति हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जाना है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के निर्धारण के बीच अधिक असमानता को हटाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित मल जल निकास व्यवस्था के साथ जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाने हैं।

1.1.2 नये अधोसंरचना के विकास, विद्यमान अधोसंरचना के संचालन एवं संधारण संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं तथा प्रदूषणजनक संसाधन, अतिदोहन एवं योजनाहीन विकास से बढ़ते खतरे हैं, जो बाढ़ तथा सूखा जैसे वर्तमान जलवायु खतरों का स्तर बढ़ा रहे हैं।

1.1.3 भूमि में जल ठहराव, जल का क्षारीय होना तथा जल में विषैले तत्व का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय है। जल क्षेत्र योजना तथा जल प्रबंधन हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने का सुअवसर है। भूजल के लिए गुणवत्ता को बनाए रखना और इसमें सुधार और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, चूंकि इसे पुनः स्वच्छ बनाना अत्यंत कठिन है। यह सुनिश्चित् किये जाने की आवश्यकता है कि औद्योगिक बहिःस्त्राव स्थानीय भंडारण, उर्वरकों एवं रसायनों के अवशेष आदि भूजल तक न पहुंचे।

1.1.4 सूखे की समस्या, पेयजल की मांग तथा हरित क्रांति के आरंभ होने के फलस्वरूप जल की बढ़ती आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में भूजल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.1.5 बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन, तटबंध निर्माण जैसे–बाढ़ नियंत्रण कार्य, योजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, वनों की सुरक्षा एवं वन क्षेत्रों का विस्तार, जल संग्रहण योजनाओं में बेहतर बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ से जनधन की न्यूनतम हानि हेतु बाढ़ की भविष्यवाणी एवं समय रहते चेतावनी हेतु तंत्र की स्थापना हेतु योजना की आवश्यकता है।

1.1.6 खाद्य सुरक्षा, जीविका तथा सभी के लिए समान और निरंतर विकास हेतु राज्य द्वारा सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के तहत जल का प्रबंधन सामुदायिक संसाधन के रूप में किए जाने की आवश्यकता है।

1.1.7 इस तथ्य को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है कि विकसित देशों में जल क्षेत्र की क्षेत्रीय पद्धतियों में सूचना प्रौद्योगिकी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में प्रगति द्वारा क्रांति आई है। अतः निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी स्तरों पर जल आयोजकों और प्रबंधको हेतु एक पुनः प्रशिक्षण एवं उत्तम सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

2. वर्तमान परिदृश्य

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ 80% से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है। राज्य का लगभग 44% क्षेत्र वनाच्छादित है तथा आबादी का लगभग 32% आदिवासी है। प्रदेश में वर्ष 2011 की स्थिति में लगभग 18.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है जबकि वास्तविक सिंचाई लगभग 11.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो रही है। प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्र 56.83 लाख हेक्टेयर है तथा निर्मित सिंचाई 31.83% है, जो राष्ट्रीय औसत 48.90% से काफी कम है।

वर्तमान में कुल 07 वृहद सिंचाई परियोजनायें, 33 मध्यम सिंचाई परियोजनायें तथा 2335 लघु सिंचाई योजनायें पूर्ण हैं तथा 4 वृहद, 6 मध्यम एवं 412 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन योजनाओं में प्रमुख योजनायें मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना, राजीव समोदा योजना फेस–II, सोंढूर परियोजना, केलो परियोजना, कोसारटेडा परियोजना, कर्रानाला बैराज आदि हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियां महानदी, शिवनाथ, हसदेव तथा इन्द्रावती हैं। प्रदेश के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जल संसाधनों का विकास ही प्रदेश के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंजी है।

3. उद्देश्य

जल संसाधनों का विकास प्रमुखतः पेयजल, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। जल संसाधनों के विकास में व्यापक निवेश हुआ है, किन्तु सामाजिक– आर्थिक कारणों से इस निवेश पर लाभ (Return) अत्यंत कम है। जल संसाधनों के विकास हेतु बांधों के निर्माण से डूब में आने वाले क्षेत्रों के वन तथा ग्रामवासी भी प्रभावित होते हैं, अतः डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम वासियों का प्रभावी पुनर्वास भी अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की ''जल संसाधन विकास नीति'' के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :–

3.1 जल संसाधनों का विकास सुनियोजित प्रकार से करना है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल (Sustainable) हो। जल स्त्रोतों (जैसे–नदियां, झीलें, टैंक, तालाब, आदि) और जल निकास मार्गो (सिंचित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जल निकास) का अतिक्रमण एवं अन्य उपयोगों में नहीं होने देना और जहां भी ऐसा हुआ है, इसे व्यवहार्य सीमा तक पुनःस्थापित एवं उचित अनुरक्षण किया जाना।

3.2 सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा वृष्टिछाया क्षेत्रों (Rainshadow areas) में जल संसाधनों के विकास के तकनीकी दृष्टि से साध्य हर संभव प्रयास हो। सूखे से निपटने के लिए विभिन्न कृषि कार्यनीतियों को विकसित करने तथा मृदा एवं जल उत्पादकता में सुधार करने के लिए स्थानीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भूमि, मृदा ऊर्जा एवं जल प्रबंधन करना।

3.3 पेयजल, कृषि एवं उद्योग हेतु आवश्यक जल ऐसी व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराना, जिससे कम से कम संधारण व्यय की पूर्ति हो सके।

3.4 जल संसाधनों के विकास में आवश्यक वृहद निवेश को देखते हुए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

3.5 जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जल उपभोक्ता संथाओं को जल शुल्क एकत्रित करने एवं एक निर्धारित हिस्सा रखने, उन्हें आबंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए वैधानिक शक्तियां दिया जाना।

3.6 संपूर्ण जनसंख्या में जल के विभिन्न उपयोग/उपभोक्ताओं हेतु समुचित संस्थागत एवं कानूनी ढ़ांचे के तहत् जल प्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित् करना।

3.7 जल प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार के उपाय –

3.7.1 जल संसाधन योजना, उनमें वृद्धि तथा उनके रचनात्मक उपयोग हेतु नीति तंत्र के विकास के लिये संबंधित सभी संस्थाओं/संगठनों के एकीकृत एवं सहयोगात्मक प्रयास द्वारा।

3.7.2 राज्य के जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन में उपयोगकर्ताओं की प्रभावी भागीदारी द्वारा।

3.7.3 अधोसंरचना, सेवाओं एवं उपयोग की गुणवत्ता के मानकों के निर्धारण से जल की उत्पादकता में वृद्धि द्वारा।

3.7.4 जलवायु/मौसम के संकटों को न्यून करते हुए वर्षा आधारित कृषि उत्पादन में विकास द्वारा।

3.8 सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार के उपाय –

3.8.1 वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के द्वारा।

3.8.2 सिंचाई परियोजनाओं की निर्मित क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के बीच के अंतर को परियोजनाओं की कुशलता में वृद्धि द्वारा कम करने से।

3.9 पर्यावरण संतुलन एवं इसे बनाये रखने के उपाय –

3.9.1 जल अधोसंरचना उपयोग एवं कूड़ा करकट फेंकने के प्रबंध संबंधी मानकों के नियमित पालन पर बल देकर जल संग्रहण संरचनाओं तथा आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा सुरक्षा से।

3.9.2 जल संग्रहण संरचनाओं के चारों ओर की भूमि के नियमबद्ध उपयोग से।

3.9.3 औद्योगिक जल निस्तार प्रवाह तथा मैले जल के पुनः उपयोग हेतु शुद्धिकरण पर बल देने से। शहरों में रसोई और स्नानागारों से बहिस्त्राव जल को प्राथमिक उपचार के पश्चात् प्रसाधनों की सफाई के लिए पुनः इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने से।

4. जल संसाधन विकास नीति के अंग

जल संसाधन विकास हेतु राज्य शासन की नीति के प्रमुख अंग निम्न है :–

4.1 जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning)
4.2 जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development)
4.3 जल संसाधनों का प्रबंधन (Water Resources Management)
4.4 जल दरों का युक्तियुक्त करण (Rationalization of Water Rates)
4.5 जल संरक्षण (Water Conservation)

4.1 जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning)

राज्य की वर्तमान एवं भविष्य के लिये जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जल संसाधनों की आयोजना के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः–

4.1.1 राज्य में सतही एवं भूजल की मात्रा का आंकलन किया जायेगा तथा उसकी उपलब्धता के आधार पर एक समन्वित ''जल संसाधन विकास मास्टर प्लान'' तैयार किया जायेगा।

4.1.2 यह सुनिश्चित् किया जायेगा कि वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की योजना तैयार करते समय पेयजल तथा सिंचाई के साथ उद्योग तथा विद्युत उत्पादन के लिये जल की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाये।

4.1.3 जल संसाधनों के उपयोग में राज्य शासन पेयजल तथा कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।

4.1.4 लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना के समय कृषकों तथा स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित् की जायेगी।

4.1.5 सतही एवं भूजल के समन्वित उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उपलब्ध भूजल का वैज्ञानिक पद्धति से समय–समय पर आंकलन किया जायेगा।

4.1.6 भूजल के दोहन को संतुलित बनाये रखने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाये जायेंगें।

4.1.7 छ.ग. राज्य में विभिन्न स्त्रोतों से जल की उपलब्धता की मात्रा निम्नानुसार आंकी गई है।

(1) सतही जल की मात्रा – 48296 मि.घ.मी.
(2) भूजल की मात्रा – 14548 मि.घ.मी.
कुल मात्रा – 62844 मि.घ.मी.

<u>वर्ष 2040 तक विभिन्न प्रयोजन हेतु जल की मात्रा का आबंटन निम्नानुसार प्रस्तावित है</u> –

(1) घरेलू प्रयोजन हेतु (पेयजल, निस्तार जल, तालाबों को भरना, आदि) उपलब्ध जल मात्रा का 20%
(62844 मि.घ.मी. का 20%)= 12569 मि.घ.मी.

(2) कृषि प्रयोजन हेतु वर्ष 2040 तक अधिकतम 40 लाख हेक्टेयर (30 लाख हेक्टेयर खरीफ 10 लाख हेक्टेयर रबी) में सिंचाई हेतु उपलब्ध जल मात्रा का 50%
(62844 मि.घ.मी. का 50%) = 31422 मि.घ.मी.

(3) औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध जल मात्रा का 5%
(62844 मि.घ.मी. का 5%) = 3142 मि.घ.मी.

आबंटित कुल जल की मात्रा = 47133 मि.घ.मी.

शेष जल की मात्रा 62844–47133 = 15711 मि.घ.मी.

<u>उपरोक्त प्रयोजनों से पुर्नचक्रण द्वारा निम्नानुसार जल उपलब्ध होगा</u> :–

(1) घरेलू प्रयोजन हेतु आबंटित जल का 50% =12569 मि.घ.मी. का 50%=6285 मि.घ.मी.
(2) कृषि प्रयोजन हेतु आबंटित जल का 10% = 31422 मि.घ.मी. का 10%= 3142 मि.घ.मी.
(3) उद्योग को प्रस्तावित आबंटित जल का 50% = 3142 मि.घ.मी. का 50%=1571 मि.घ.मी.

कुल जल की मात्रा = 10998 मि.घ.मी.

अतः उपयोग पश्चात कुल जल की मात्रा 15711+10998 = 26709 मि.घ.मी.

वर्ष 2040 तक शेष जल की मात्रा 26709 मि.घ.मी. उपलब्ध रहेगी। जिसे आकस्मिक आवश्यकता हेतु सुरक्षित जल के रूप में रखा जाना प्रस्तावित है।